

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/F-6/1/4/0059/2025-Sec-2-10(FOR), भोपाल, दिनांक 11-12-2025

प्रति,

अपर प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

विषय: पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के संरक्षित क्षेत्र के ईको सेंसिटिव जोन में संचालन के संबंध में।

विषयांतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढी एवं मढई तथा कान्हा टाइगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव जोन में पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.11.2025 के कार्यकारी अंश पैरा क्र.-47.2.1 की प्रति संलग्न है। उक्त आदेश में संरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व के कोर/बफर एवं पक्षी अभयारण्य) के ईको सेंसिटिव जोन के आस-पास के क्षेत्र में नो फ्लाई जोन घोषित कर इनके ऊपर से **व्यवसायिक उड़ानों को प्रतिबंधित किया गया है।**

अतः पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक/F-6/1/4/0059/2025-Sec-2-10(FOR) भोपाल, दिनांक 11-12-2025

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सही/-

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग